

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

कमांक 2130 /स्था/मुप्रनिबो/2016

भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 142 वीं बैठक दिनांक 24 अक्टूबर 2016 एवं 144 वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई 2017 में लिये गये निर्णय अनुसार पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत उद्योगों/ संस्थानों/ नगरीय निकायों को बोर्ड की ओर से जारी की जाने वाली सम्मति, प्राधिकार एवं पंजीकरण तथा न्यायालयीन कार्यवाही हेतु निम्नानुसार शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है :-


कं.	प्रोजेक्ट्स का प्रकार	बोर्ड के अध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियाँ	क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ
1	ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 की अनुसूची में दर्शित सभी प्रकार के उद्योग/प्रोजेक्ट्स (लघु/ मध्यम/वृहद) जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।	सभी प्रकार की इकाईयों /उद्योग/ संस्थान इत्यादि को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	प्रत्यायोजन नहीं
2	17 प्रकार के अतिप्रदूषणकारी उद्योग (लघु/मध्यम/वृहद)	सभी प्रकार की इकाईयों /उद्योग/ संस्थान इत्यादि को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	प्रत्यायोजन नहीं
3	रु. 10.00 करोड़ एवं इससे अधिक विनिधान करने वाले लाल/ नारंगी/ हरी श्रेणी के उद्योग।	सभी प्रकार की इकाईयों /उद्योग/ संस्थान इत्यादि को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की	नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों के केवल वार्षिक जल/वायु सम्मति के नवीनीकरण एवं परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की शक्तियाँ ।

		सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	
4	सभी श्रेणियों के उद्योग जिनमें परिसंकटमय अपशिष्टों के रिसाईकलिंग एवं रिरिफाईनिंग का कार्य किया जाता है।	सभी प्रकार की इकाईयों /उद्योग/ संस्थान इत्यादि को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	प्रत्यायोजन नहीं
5	पांच हेक्टेयर व पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी खदानों तथा सभी मेजर मिनरल की उत्खनि इकाईयों	सभी प्रकार की खदानों को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	केवल पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले बोल्टर गिट्टी कशर एवं रेत उत्खनन खदानों को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की शक्तियाँ ।
6	जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम	सभी चिकित्सा संस्थान एवं सीबीडबल्यूटीएफ को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार एवं प्राधिकार का नवीनीकरण, जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	केवल 200 बिस्तर से कम क्षमता के चिकित्सकीय संस्थान, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, पशु चिकित्सालय एवं अन्य संस्थानों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकार एवं प्राधिकार का नवीनीकरण, जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की शक्तियाँ ।
7	लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के उद्योग (कंडिका 1, 2, 3, 4 में दिये गये उद्योगों/संस्थानों को छोड़कर)	जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ नवीनीकरण तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	रु. 10.00 करोड़ या उससे कम विनिधान करने वाले लाल/ नारंगी/हरी श्रेणी के उद्योग को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ सम्मति नवीनीकरण जारी तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा प्राधिकार

			नवीनीकरण जारी करने की शक्तियाँ ।
8	सभी प्रकार के बिल्डिंग/टाउनशिप प्रोजेक्ट्स	कॉमर्शियल भवन निर्माण, आवासीय रहवासी कालोनियों को जल एवं वायु अधिनियम के अंतर्गत स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ नवीनीकरण तथा परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार तथा नवीनीकरण जारी करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	केवल 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली भवन एवं व्यवसायिक निर्माण परियोजनाओं को जल, वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना, उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण तथा एवं खतरनाक अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत प्राधिकार एवं नवीनीकरण ।
9	नगर निगम/नगर पालिका तथा नगर पंचायत	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगर निगम तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमों के अन्तर्गत स्थापित अपवहन व्यवस्था संचालकों के प्राधिकार तथा जल/वायु स्थापना सम्मति/उत्पादन सम्मति/ नवीनीकरण एवं खतरनाक अपशिष्ट नियम के प्राधिकार तथा उसके नवीनीकरण की शक्तियाँ	नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगर पालिका/नगर पंचायत के प्राधिकार तथा जल/वायु स्थापना सम्मति/ उत्पादन सम्मति/ नवीनीकरण एवं खतरनाक अपशिष्ट नियम के प्राधिकार तथा उसके नवीनीकरण की शक्तियाँ
10	आटोरिन्यूवल के अंतर्गत हरी एवं नारंगी श्रेणी की संस्थाओं से प्राप्त होने वाले आवेदन	आटोरिन्यूवल के अंतर्गत हरी एवं नारंगी श्रेणी की संस्थाओं से प्राप्त होने वाले आवेदन के निराकरण हेतु सम्पूर्ण शक्तियाँ ।	आटोरिन्यूवल के तहत प्राप्त आवेदनों के प्रोफाईल अप्रूव उपरांत आटोरिन्यूवल की शक्तियाँ ।
11	उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध जल अधिनियम की धारा 12 एवं वायु अधिनियम की धारा 15 के तहत न्यायालयीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करना	उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध जल/वायु एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन हेतु न्यायालयीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ	लघु श्रेणी एवं 10 करोड़ की लागत वाले जिन उद्योगों के सम्मति एवं प्राधिकार प्रकरणों में निर्णय लेने की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को हैं उन उद्योगों हेतु सम्पूर्ण शक्तियाँ । आवासीय एवं व्यावसायिक भवन निर्माण संबंधी परियोजनाओं के प्रकरणों में सम्पूर्ण शक्तियाँ ।
12	उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध जल अधिनियम की धारा 49(1) एवं वायु अधिनियम की धारा 43(1) के अन्तर्गत न्यायालयीन वाद दायर करना	वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों के विरुद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने संबंधी अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ डायरेक्टर (पर्यावरण), मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, मुख्य रसायनज्ञ, वैज्ञानिक, सहायक यंत्री स्तर तक के अधिकारी को वाद दायर करने	क्षेत्रीय अधिकारी की अनुमति उपरांत क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ डायरेक्टर (पर्यावरण), मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, अधीक्षण यंत्री, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, मुख्य रसायनज्ञ, वैज्ञानिक, सहायक यंत्री, कनिष्ठ वैज्ञानिक, रसायनज्ञ, उपयंत्री को न्यायालयीन वाद दायर करने हेतु शक्तियाँ का प्रत्यायोजन ।

	हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।	
--	-------------------------------	--

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये तथा आदेशानुसार


(ए० ए० मिश्रा)
सदस्य सचिव

१

भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

पृ० क्रमांक 2131 /स्था/मुप्रनिबो/2017
प्रतिलिपि:-

- 1 समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 2 समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
- 3 ✓ आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।